

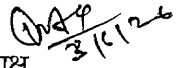
कार्यालय केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट बलिया ।

नीलाम नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक प्रतिष्ठान बलिया में निष्प्रयोज्य स्थिति में रखे 04 जनरेटर के वावत माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 724/प्रशा0 ((बी 1) दिनांकित 10।4।26 के निर्देश के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25।5।26 के द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है तथा उन्हें नीलाम किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । जिसकी सरकारी बोली की धनराशि जनरेटर के अनुसार निम्नवत् है । उक्त निष्प्रयोज्य जनरेटरों की नीलामी दिनांक 11।6।26 को दस कक्षीय न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में सायं 4 वजे खुली बोली के आधार पर की जायेगी । अतएव जिन महानुभाव को उक्त जनरेटरों की नीलामी लेनी हो , वे दिनांक 11।6।26 को नियत समय व स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी ले सकते हैं ।

बोली लगाने की शर्तें

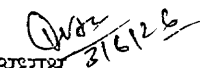
- 1 उपरोक्त वर्णित जनरेटरों की नीलामी में भाग लेने के लिये बतौर जमानत प्रत्येक जनरेटर का सरकारी धनराशि का 1/4 भाग रुपये जमा करना होगा ।
 - 2 बोली समाप्त होने पर अन्तिम अधिकतम बोली का सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करने पर ही जनपद न्यायाधीश के समक्ष स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी ।
 - 3 माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया को अधिकार होगा कि बिना कारण बताए किसी भी बोली को मान्य अथवा अमान्य कर सकते हैं ।
 - 4 प्रत्येक बोली कर्ता अपने-2 बोली से बाध्य होगा । भले ही वह ऊँची या नीची हो । यह भली भाँति समझना चाहिए कि नीलामी की राशि माफी पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकता है ।
 - 5 नीलामी में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को निवास प्रमाण पत्र/पहचान प्रमाण पत्र व पैन कार्ड की छायाप्रति दाखिल करना होगा एवं मूलप्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा ।
 - 6 नीलामी स्वीकृत होने के 10 दिन के अन्दर नीलामशुदा जनरेटरों को न्यायालय परिसर से हटाना आवश्यक होगा अन्यथा उसे 200/- रुपये प्रतिदिन बिलम्ब शुल्क अदा करना होगा ।
 - 7 नीलाम नोटिस वास्ते अनुमोदन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो ।
- नियत सरकारी धनराशि:-5 केवी०ए० का रुपये 3000/-, 15 केबीए का रुपये 9500/-, 7.5 केबीए का रुपये 6500/- एवं खराब 7 केबीए का रुपये 2000/-**


अध्यक्ष

नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं० 1 बलिया ।

प्रतिलिपि निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किये जाने हेतु

- 1 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 2 जिलाधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 4 जिला परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 5 अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु ।
- 6 जिला न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु ।


अध्यक्ष

नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं० 1 बलिया ।